फर्द अहकाम

न्यायालय: ACM-I

जुगल किशोर बनाम भंवर लाल

संख्या / वर्ष दावा : 96/22 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/5/24	अन्तर्गत धारा-88, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया गया है। पत्रावली मय दस्तावेजात के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि वादी द्वारा ~~वह~~ वाद के चरण संख्या-2 में उल्लेखित विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 409 रकबा 0.04 बिस्वा खसरा नम्बर 412 रकबा 15 बीघा, 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 413 रकबा 8 बीघा 10 बीस्वा, खसरा नम्बर 414 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 403 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 5 रकबा [illegible] बीघा 16 बिस्वा आराजी है, सयुंक्त खाते की आराजी है, जिसमें संयुक्त खाते की पैतृक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.19 10:57:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय ACM - I

जुगल किशोर बनाम [illegible]

मुकदमा संख्या / वर्ष दावा : 96/22 /20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/5/24	आराजी होने के कारण वादी का हित व अधिकार जन्म से ही समाहित है। वादी ने यह वाद, संयुक्त परिवार की भूमि में से अपने पिता / प्रतिवादी सं.-1 से विरासत के आधार पर अर्जित व विद्यमान अधिकारों की घोषणा के लिए पेश किया है। पत्रावली में संलग्न रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं.-① की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी सं.-1 की मृत्यु होने के उपरान्त पैतृक सम्पत्ति के अन्तरण के आधार पर विर[illegible] का नामान्तकरण प्रतिवादी सं. [illegible] वैधिक वारिसों के नाम खोला जा चुका है।

(हस्ताक्षर)

सहा[illegible] कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.19 10:57:14 IST
Reason: Self Attested

फर्द अहकाम

न्यायालय ACM - I

जुगल किशोर बनाम शंकरलाल

वाद संख्या / वर्ष दावा : 96/22 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/5/24.	जिसका इन्द्राज जमाबन्दी में हो गया है। अतः वादी द्वारा जो घोषणा का अनुतोष अपने पिता/प्रतिवादी संख्या-① से चाहा गया है, वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादी, पैतृक सम्पत्ति में से अपने हिस्से का खातेदार घोषित हो चुका है। वर्तमान में उक्त वाद को चलाए रखने का वाद-कारण भी शेष नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद सारहीन हो गया है। इसलिए सारहीन (infructuous) होने के कारण अग्रिम कार्यवाही होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। [signature]	

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.19 10:57:14 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय ACM-I

जुगल किशोर बनाम शंकर लाल

मुकदमा संख्या/वर्ष दावा : 96/22 /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		निर्णय आज दिनांक 30/5/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली कैसल सुमार होकर पर्ची नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.19 10:57:14 IST
Reason: SelfAttested